न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 167 / 2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1 भगवानपुरी 2 गोमपुरी 3 अचलपुरी पिसरान चिमपुरी जाति स्वामी निवासी सुथारों का तला (गरल) तहसील बाड़मेर 4 पारू पुत्री चिमपुरी पत्नी केवलपुरी जाति स्वामी निवासी बाड़ार मदरूप तहसील रामसर 5 टीपू पुत्री चिमपुरी पत्नी चनणपुरी जाति स्वामी निवासी खडी तहसील रामसर जिला बाड़मेर।		1 चिमपुरी पुत्र धूड़पुरी जाति स्वामी निवासी सुथारों का तला (गरल) तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री वीरमाराम चौधरी, वकील वादीगण।
2. श्री मोहनलाल चौधरी, वकील प्रतिवादी।

निर्णय

दिनांक 9.10.19

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 धूड़पुरी के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा सुथारों का तला (गरल) पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 751 / 311 रकबा 25.09 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि धूड़पुरी के फौतगी पर चिमपुरी के हिस्से में आई, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा काश्त है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 चिमपुरी के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1 / 6–1 / 6 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी चिमाराम की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी रामसिंह के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण प्रत्येक का भी 1 / 6–1 / 6 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि मे प्रतिवादी के साथ सहखातेदार घोषित कर 1 / 6–1 / 6 हिस्सा घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादीगण द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

उभय पक्षो की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी चिमपुरी के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1 / 6–1 / 6 हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं व नामान्तकरण संख्या 920 का भी अवलोकन

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा सुथारों का तला (गरल) पटवार क्षैत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 751/311 रकबा 25.09 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी चिमपुरी के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी चिमपुरी प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 9.10.19 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र – 5

(न्)यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.)

अनवान

अन्तिम डिक्री

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1 भगवानपुरी 2 गोमपुरी 3 अचलपुरी पिसरान चिमपुरी जाति स्वामी निवासी सुथारों का तला (गरल) तहसील बाडमेर 4 पारू पुत्री चिमपुरी पत्नी केवलपुरी जाति स्वामी निवासी चाडार मदरूप तहसील रामसर 5 टीपू पुत्री चिमपुरी पत्नी चनणपुरी जाति स्वामी निवासी खडी तहसील रामसर जिला बाडमेर।		1 चिमपुरी पुत्र धूड़पुरी जाति स्वामी निवासी सुथारों का तला (गरल) तहसील व जिला बाडमेर

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 167 / 2019

निर्णय दिनांक :– 9.10.19

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा सुथारों का तला (गरल) पटवार क्षैत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 751 / 311 रकबा 25.09 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी चिमपुरी के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी चिमपुरी प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 9.10.19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मुहर: न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर)

(हस्ताक्षर)

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प			
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
4 .... रूपये प्र प्लीडर की फीस		प्लीडर की फीस	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
6 कमिश्नर की फीस		आदेशिका की तामील	
7 आदेशिका की तामिल		कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

E:\SDM Barmer\Lalit Ji Joshi\PD\PD Abhiyan.docx

Scanned by CamScanner